

विभागीय वेबसाइट में प्रसारण हेतु

(उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिल इकाईयों के वित्तीय वर्ष 2023–24 के वैधानिक आडिट एवं टैक्स आडिट हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति)

उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिल इकाईयों एवं उससे सम्बद्ध डिस्ट्रिक्ट रीयली(यदि कोई हो तो) के वित्तीय वर्ष 2023–24 के वैधानिक आडिट एवं टैक्स आडिट कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के आवेदन पत्र निम्नवत् आमंत्रित किये जाते हैं :—

1. केवल पार्टनरशिप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
2. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का सी.ए.जी. में पंजीकृत होना अनिवार्य है। नवीनतम् सी.ए.जी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न हो।
3. आवेदन पत्र के साथ यह वचन—पत्र(Undertaking) संलग्न किया जायेगा कि संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के किसी भी पार्टनर का कोई सगा—संबंधी या रिश्तेदार लेखापरीक्षित इकाई चीनी मिल में नहीं है।
4. यह विवरण भी दिया जाए कि आवेदन करने वाली सी.ए. फर्म के किसी भी पार्टनर का कोई सगा—संबंधी या रिश्तेदार, क्या किसी अन्य सी.ए. फर्म में भी पार्टनर हैं।
5. आवेदन पत्र के साथ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का संक्षिप्त प्रोफाइल जिसमें पार्टनरों की संख्या व विवरण, पूर्व में विभिन्न राजकीय व अर्द्धराजकीय संस्थाओं में किये गये आडिट कार्यों का विवरण, मुख्यालय का पता, ईमेल आई.डी. आदि का सम्पूर्ण विवरण अकित होना चाहिये।
6. विगत तीन वर्षों में फर्म ने जिन अन्य संस्थाओं (सरकारी/अर्धसरकारी) में आडिट कार्य किया है, उस संस्था/इकाई द्वारा प्रदत्त संतोषजनक आडिट कार्य का प्रपत्र।
7. आडिट फीस का भुगतान संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को वैधानिक आडिट का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सम्परीक्षित बैलेन्सशीट हानि—लाभ का ब्यौरा सक्षम स्तर को उपलब्ध कराने तथा टैक्स आडिट रिपोर्ट आयकर विभाग को ऑन—लाइन प्रेषित करने के उपरान्त विभाग द्वारा निर्धारित फीस के अनुसार किया जायेगा, जो संबंधित फर्म को मान्य होगा।
8. इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा अपना आवेदन प्रपत्र/प्रोफाइल “वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, 17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ” को डाक/वाहक द्वारा दिनांक 10–04–2024 तक उपलब्ध कराया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त किसी आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. आडिट कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों का चयन निबन्धक/विभाग के स्तर पर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया जायेगा, जो अन्तिम होगा।

(प्रभु एन. सिंह)

आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक
सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियां, उ.प्र।।